भंवर लाल —— **बनाम** —— नन्दू देवी

संख्या/वर्ष 92/2020 (06/2008) /20

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
10/2024	पत्रावली वास्ते आदेश नीलाम हेतु प्रस्तुत। वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखे जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार ... बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

२५

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर

पीठासीन अधिकारी — रामदेव सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नं. — 6/2008

भंवर लाल बनाम नंदू देवी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश –1 नियम–10 सपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 26/3/10

प्रार्थी यशोदानंदन दत्तक पुत्र दामोदर जाति पारिक हाल निवासी मकान नं ए–10, लक्ष्मी कॉलोनी, नया खेड़ा, अंबाबाडी ने दिनांक 6.3.2009 को एक प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा 151, जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि विवादित भूमि में प्रार्थी ग्राम खड़वाडा की भूमि खसरा नं. 184,185 एवम 186 से संबंधित इस वाद में आवश्यक पक्षकार है क्योंकि इस भूमि बाबत वाद संख्या 147/2007 यशोदानंदन दत्तक पुत्र दामोदर बनाम तहसीलदार सांगानेर से प्रार्थी को इस भूमि का 1/2 का खातेदार घोषित किया हैं। वादीगण ने इस वाद में जानकार के बाबजूद प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः वाद का सम्पूर्ण निबटारे एवं विरोधाभाषी निर्णय पारित होने से रोकने के लिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक एवम् उचित हैं। प्रार्थी ने निर्णय व डिक्री वाद संख्या 147/2007 दिनांक 30.12.2008 की प्रति भी पेश की हैं।

अप्रार्थी (वादीगण) द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी इस वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है न ही प्रोपर पक्षकार है। प्रार्थी ने वाद संख्या 147/2007 वाद में मतृक दामोदर का दत्तक पुत्र बताते हुए न्यायालय से एक पक्षीय डिगरी जारी करवाली। प्रार्थी जब तक

सहायक कलेक्टर एवम् ... जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:09:46 IST
Reason: SelfAttested